	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/12/19	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। मामले में उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस करते हुए अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर रखा है। अपीलांट द्वारा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किये गये मूल वाद सं० 121/78 में वादी (अपीलांट) के पक्ष में 3.7.1978 को ही स्थगन आदेश जारी कर दिया था जो आज दिन तक प्रभावी है। यह आदेश मूल वाद की आदेशिका में ही जारी किया गया था जिस पर एतराज किये जाने पर स्थगन बाबत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 विधिवत प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 23.9.2019 को स्थगन आदेश जारी कर दिया था। वादग्रस्त भूमि ग्राम चौपासनी जागीर के खेत ख० नं० 16 रकबा 21 बीघा जिसमें से दी गई स्कीमों के मुताबिक 5 बीघा 02 बिस्वा भूमि पर अपीलांट बतौर मेहरबान (?) पुश्तैनी रूप से काबिज व कास्तकार है। अपीलांट के निर्बाध कब्जे के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा गलत एवं गैरकानूनी रूप से अपीलांट को धारा 91 RLR Act के तहत नोटिस दिया जिस पर प्रार्थी द्वारा रेस्पो. सं. 2 के यहां जवाब प्रस्तुत कर दिया एवं तमाम तथ्यों से अवगत कराया परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा कानून के विपरीत जबरन प्रार्थी की बेदखल कोशिश करने पर वाद दायर किया। हाल ही में रेस्पोन्डेंट द्वारा पुनः अपीलांट को अतिक्रमी मानते बाबत कार्यवाही करने पर रेस्पोन्डेंट स्थगन आदेश की प्रति पेश की परन्तु उन्होंने इस पर गौर नहीं करते हुए एतराज किया कि स्थगन आदेश बिना किसी प्रार्थना-पत्र के मूल वाद की पत्रावली की आदेशिका पर दिया गया है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत किया जिस पर 23.9.19 को स्थगन देते हुए आगामी तारीख पेशी दि. 27.9.19 रखी गई। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का नोटिस दिये बगैर पूर्व आदेश दि. 23.9.19 को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जो विधि सम्मत नहीं है, यह आदेश बिना सुने किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन आदेश खारिज होने का मूल वजह यह दी है कि वादी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद दि. 10.10.2083 को खारिज कर दिया था एवं इस वाद को दिनांक 28.4.2014 को पुनः रेस्टोर कर दिया गया था इस कारण से ऐसा आदेश जारी नहीं किया जा सकता था। अधी. न्यायालय का यह निर्णय/आदेश विधि विरुद्ध है जिससे अपील स्वीकार कर खारिज फरमाया जावे और अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। उक्त परिस्थितियों और स्थगन प्रार्थना-पत्र पर न्यायालय द्वारा ने प्रार्थी-अपीलांट के पक्ष में स्थगन का अंतरिम आदेश दिया गया। P.T.O [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	अधिवक्ता उपस्थित 12.12.19 Rajesh Kr. Adv मय अधिवक्ता हेतु निर्देश। [signatures] (पेनल अधिवक्ता नगर निगम जोधपुर)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
नोटिस तामील होने के बाद नियमानुसार अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया जाकर सुना गया। उनके अधिवक्ता श्री महेन्द्र लोढा ने वकालतनामा पेश किया तत्पश्चात उन्हें सुनकर उक्त प्रकरण दि. 22.7.2014 को ही निर्णीत हुआ जो आदेश आज भी प्रभावी है क्योंकि इसकी अपीलांट को भलीभांति जानकारी है। अपीलांट अतिक्रमी है उसे हटाये जाने का आदेश हो चुका है/ इस मामले में संबंधित एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में पेश हुई जो विचाराधीन है, फौजदारी प्रकरण भी दर्ज है एवं सिविल न्यायालय में भी वाद लम्बित है जो लंबित है/ इस मामले में भूमि और कृषि प्रयोजनार्थ से मुश्किल आबादी किस्म होने से माननीय राजस्व न्यायालयों में इसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार निहित नहीं है। अपीलांट जिस कथित आदेश का कथन करता है वह वाद 10.10.83 को ही खारिज हो गया था और लंबी अवधि बाद 30 वर्षों बाद, पुन नंबर पर लिये जाने के बाद दि. 13.5.14 को संस्थित हुआ जिससे पूर्व का क्षेत्राधिकार निष्प्रभावी हो चुका है/ क्योंकि इसके संबंध में बाद में वाद क्र. ... पर कोई आदेश नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी है, भूमि गैर-मुमकिन आबादी है, उस पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है, समस्त तथ्य अपीलांट के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति होना नहीं दर्शाते हैं जबकि भूमि राजकीय होकर रेस्पो. नं. 3 को हस्तांतरित होने से तीनों बिंदु उनके पक्ष में साबित हैं लिहाजा अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे। रेस्पो. सं. 4 नगर निगम जोधपुर की तरफ से पेनल अधिवक्ता ने भी एक प्रार्थना-पत्र पेश कर नगर निगम के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं करने बाबत पेश किया। बहस में उन्होंने कथन किया कि नगर निगम जोधपुर ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 CPC पेश किया नगर निगम जोधपुर के द्वारा धारा 194, 245, 238 नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत नोटिस दिये जाने के आधार पर बनाए जाने का कथन करने पर नगर निगम, जोधपुर को पक्षकार मुकदमा बनाया गया। उन्होंने कहा कि धारा 194 नगरपालिका अधि० 2009 के तहत किसी भी पक्षकार के द्वारा बिना निर्माण अनुमति के अवैध निर्माण कार्य करवाने जाने के कारण नोटिस प्रदान किया जाता है जो कि नगर निगम के क्षेत्राधिकार में होने के कारण प्रार्थी/अपीलांट द्वारा उसके क्षेत्राधिकार में बिना निर्माण अनुमति के निर्माण किये जाने के कारण उपरोक्त नोटिस प्रदान किया गया था, क्योंकि यदि अपीलांट काबिज है तो धारा 194(12) अधिकारी	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
के विरुद्ध नगर निगम जोधपुर द्वारा जारी नोटिस विधिसम्मत प्रदत्त है क्योंकि अप्रार्थियों द्वारा वादग्रस्त भूमि पर बिना अनुमति अवैध आवासीय निर्माण किया, एवं अप्रार्थियों अपना आवासीय कब्जा इस भूमि पर स्थापित है। नगर निगम जोधपुर के द्वारा की गई कार्यवाही अवैध नहीं है। पत्रावली में "न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण के प्रकरण सं० 12/2014 आदेश दि. 22-7-2014 जो अपीलांट अप्रार्थियों पुत्र श्री छोगाजी के विरुद्ध पारित होकर, पारित है, के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलांट को नोटिस जारी होकर इस कार्यवाही में उसके वकील की उपस्थिति और सुनवाई पश्चात् निर्धारित हुआ है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पक्के आवासीय निर्माण कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है जो न्यायहित में हटाने योग्य है। यह आदेश आयुक्त (पश्चिम) एवं प्राधिकृत अधिकारी JDA जोधपुर द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलांट के द्वारा किये गए अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिये गए। अपीलांट के विरुद्ध यह कार्यवाही होकर आदेश हुआ है और यदि वह इससे व्यथित है तो सक्षम न्यायालय में विधिवत अपील कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। उपरोक्त तथ्यों, बहस के वक्त प्रस्तुत दलीलों, अभिलेख आदि के आलोक में पाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि जे.डी.ए. आबादी किस्म होकर स्थानीय निकाय को हस्तांतरित है। अपीलांट का इस पर आवासीय कब्जा अनाधिकृत, गैर कानूनी और अतिक्रमण की श्रेणी का है न कि कृषि भूमि पर कृषि कार्य के द्वारा कब्जा काश्त। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं होने के कारण मामला राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं है और इसके संबंध में नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी ही कार्यवाही करने के लिए सक्षम हैं और उनका क्षेत्राधिकार है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपील के जरिये चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है लिहाजा अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है और वह किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं ठहरता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (हस्ताक्षर) ... प्राधिकारी जोधपुर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के प्रावधानों के तहत माननीय अपील अधिकरण महो० को अपील का मामला था। इसके तहत कोई अपील होना नहीं होने से नगर निगम जोधपुर के विरुद्ध किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं दिया जा सकता। अत: प्रार्थी ने नगर पालिका अधिनियम के उल्लंघन में बिना भू उपयोग परिवर्तन करवाये बिना नक्शा स्वीकृत करवाये, बिना निर्माण अनुमति प्राप्त किये अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु उक्त धाराओं में उसे नोटिस दिया गया था इस कारण से नगर निगम जोधपुर के विरुद्ध किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं करें।
	बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक वादग्रस्त आराजी मौजा चौपासनी जागीर का ख.नं. 16 रकबा 21 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास के नाम गैं.मु. आबादी किस्म दर्ज है और वर्तमान में JDA अस्तित्व में होने के कारण उसमें निहित हो चुकी है। रिकॉर्ड पर अपीलांट मन्नूलाल का एक शपथ-पत्र 29.4.11 है जिसके पद सं. 4 में वादी/प्रार्थी मन्नूलाल स्वयं ने स्वीकार किया है कि "अब जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से वादी को विवादग्रस्त भूमि का कब्जा खाली करने हेतु नोटिस जारी किये गए हैं एवं यह बताया गया है कि उक्त भूमि जेडीए को आवंटित कर दी गयी है।" इसने यह भी पद सं. 6 में स्वीकार किया है कि इसके बाद नगर निगम जोधपुर द्वारा प्रार्थी को नोटिस अंतर्गत धारा 194, 245 व 236 नगर पालिका अधि० के तहत दिया गया एवं उक्त भूमि अब नगर निगम के क्षेत्र में स्थित होना बताया इस पर अपना क्लेम जताया गया।" राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2061-2064 ग्राम चौपासनी जागीर के खाता सं 284 मुताबिक ख.नं. 16 रकबा 21 बीघा भूमि गैं.मु. आबादी के रूप में नगर सुधार न्यास के खाते में दर्ज है। इससे साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि नहीं होकर "गैर मुमकिन आबादी" किस्म की भूमि है जो स्थानीय निकाय को हस्तांतरित होकर उनके निस्तारण पर है। यह भूमि नगर पालिका अधि० 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगर निगम, जोधपुर के क्षेत्राधिकार में भी है जिसके संबंध में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत समुचित कार्यवाही हेतु नगर निगम सशक्त है, यदि इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई व्यक्ति कदम करता है। अपीलांट मन्नूलाल
	[signature] अधिकारी P.T.O

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म में बा...

रेस्पोडेंट सं० 02 की ओर से अधिवक्ता ने अपील के विरुद्ध में जवाब प्रस्तुत किया जिसके कथनों को वजह बहस दोहराते बताया गया कि अपीलांट द्वारा वास्तव में विधि सम्मत स्थगन प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 RT Act प्रस्तुत करने पर न्यायालय ने बाद सुनवाई दि. 23.9.19 को स्थगन आदेश जारी किया था। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलांट को धारा 91 RLR Act के तहत नोटिस मिलवाया जिस पर अपीलांट/प्रार्थी द्वारा लिखित रूप से रेस्पो. सं.2 के यहां जवाब प्रस्तुत कर दिया था। अपीलांट ने एक वाद भी प्रस्तुत किया था जिसमें दि. 8.7.78 को न्यायालय द्वारा नाइत्तफाकी विवादित भूमि के लिए यथास्थिति कायम रखने के आदेश पारित किये जिसकी रेस्पो सं० 3 JDA जोधपुर को दिनांक 23.9.19 के आदेश की जानकारी होने से पूर्व एवं JDA को कोई नोटिस जारी नहीं किया और न ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया था तथा अपीलांट को एकपक्षीय रूप से सुनकर दि. 23.9.19 को आदेश पारित किया जो अवैधानिक होने के कारण इसे रि-कॉल करने व JDA जोधपुर को अपना पक्ष समुचित रूप से रखने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। "नये सिरे से आदेश पारित किया जावे" का निवेदन किया गया और पत्रावली आज ही पेशी पर ली जाकर सुनवाई का अवसर दिये जाने का निवेदन किया गया। रेस्पो. सं.3 JDA जोधपुर द्वारा पत्रावली तलब करने हेतु प्रार्थना-पत्र की नकल अपीलांट अधिवक्ता को दी गई व अपीलांट अधिवक्ता ने नकल लेने से इंकार कर दिया तब न्यायालय द्वारा रेस्पो. सं.3 की बहस सुनकर "आदेश दि. 23.9.19 को स्थगन आदेश से JDA जोधपुर स्वतंत्र है" का आदेश पारित किया जो सही किया गया है। वादग्रस्त भूमि ग्राम चौपासनी जागीर के ख.नं. 16 रकबा 2 बीघा शुरू से ही राजकीय खाते में दर्ज रही है एवं उसके बाद रेस्पो. सं.3 को आवंटित/हस्तांतरित की गई है उक्त भूमि खातेदारी भूमि नहीं है और मुमकिन आबादी भूमि है जिसके मालिक एवं स्वामी रेस्पो. सं.3 JDA जोधपुर का नाम दर्ज है। अपीलांट इस भूमि का खातेदार नहीं है। अपीलांट अतिक्रमी है जिसको हटाए जाने के आदेश पारित हो चुके हैं। दिनांक 21.3.14 को JDA की ओर से उक्त विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिस पर अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट अब्दुल रहमान पुत्र छोगासिंह व उसके परिवार के विरुद्ध प्रकरण सं. 12/14 दर्ज किया गया जो अंतर्गत धारा 67 JDA अधिनियम (अधि. सं. 2 सन 2009) का दिनांक 22.4.2014 को नोटिस जारी किया गया।

ह०/-
सहायक कलेक्टर/भू-अधिकारी
जोधपुर